हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

बोर्ड कार्यालय से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त डी0एल0एड0 संस्थाओं से शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क ऑनलाईन Gateway Payment के माध्यम से लिया जाना है, जिसके लिए सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 50,000/–रुपये ऑनलाईन जमा करवाये जाने है। डी.एल.एड. संस्थाओं द्वारा गत् वर्षो (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) का सम्बद्धता शुल्क पर बकाया GST भी जमा करवाया जाना है। शैक्षिक सत्र 2025–26 का सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क पर (CGST @ 9% & SGST @9%) कुल 18% GST के साथ जमा करवाया जाना है। सम्बद्धता शुल्क ICICI बैंक द्वारा Gateway Payment के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload करने अति आवश्यक है। राजकीय डी0एल0एड0 संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करवाया जाना है। अगर संस्था द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार सम्बद्धता शुल्क/Document upload नहीं करते हैं तो उन संस्थाओं को विलम्ब शुल्क GST सहित Document Upload करने होंगे। डी0एल0एड0 संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु फार्म ऑनलाईन भरने की तिथियां निम्न प्रकार से है:–

बिना विलम्ब शुल्क	दिनांक 05.12.2025 से 18.12.2025 तक
विलम्ब शुल्क 5000/–रुपयें सहित	दिनांक 19.12.2025 से 31.12.2025 तक

सम्बद्धता आवेदन–फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरा जाना है, सम्बद्धता आवेदन–फार्म व शुल्क केवल ऑनलाईन माध्यम से लिया जाना है। ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं0 01664–254300 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं0 01664–244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की ई–मेल आई. डी. asaffi@bseh.org.in पर ई0मेल भेजी जा सकती है।

05/XII/25

सहायक सचिव (सम्बद्धता)